भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **882**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 07 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946 (शक) को दिया जाना है।

धुबरी के किसानों को उर्वरक राजसहायता

882. मोहम्मद रकीबुल हुसैन:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) धुबरी में विशेषकर अधिकतम बुआई वाले मौसम के दौरान किसानों को रासायनिक उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) सरकार किस प्रकार उर्वरकों की बढ़ती कीमतों से निपटने और यह सुनिश्चित करने की योजना बना रही है कि धुबरी के किसान अपनी आदान लागतों को कम करने के लिए पोषक आधारित राजसहायता (एनबीएस) योजना के अंतर्गत राजसहायता प्राप्त कर सकें; और

(ग) क्या रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने और मृदा स्वास्थ्य में वृद्धि करने के लिए धुबरी में जैविक उर्वरकों के उपयोग और एकीकृत पोषकतत्व प्रबंधन पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की कोई योजनाएं हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू), प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले प्रमुख उर्वरकों नामत यूरिया, डीएपी, एमओपी तथा एनपीकेएस उर्वरकों की आवश्यकता का आकलन करता है। डीएएण्डएफडब्ल्यू द्वारा किए गए आकलन के अनुसार, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके असम सहित, राज्यों को उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा का आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है। इन आपूर्तियों को स्वदेशी उत्पादन के साथ-साथ आयातों के माध्यम से पूरा किया जाता है। तथापि, संबंधित राज्यों के भीतर, प्रभावी अंतर-जिला और अंत: जिले वितरण चैनलों के माध्यम से पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

असम राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, धुबरी जिले में पूरे वर्ष के दौरान उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराई गई है और व्यस्ततम मौसम के दौरान उर्वरकों की कोई कमी नहीं हुई है।

(ख): सरकार ने फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों के लिए दिनांक 1.4.2010 से पोषक-तत्व आधारित सब्सिडी नीति लागू की है। इस नीति के अंतर्गत, अधिसूचित पीएण्डके उर्वरकों पर उनमें पोषक-तत्व मात्रा के आधार पर वार्षिक/द्विवार्षिक आधार पर सब्सिडी की एक नियत राशि उपलब्ध कराई जाती है। इस नीति के अतंर्गत, उर्वरक कंपनियां बाजार के उतार-चढ़ाव के अनुसार वहनीय स्तर पर उर्वरकों की एमआरपी तय करती हैं जिसकी निगरानी सरकार द्वारा की जाती है। एनबीएस नीति अखिल भारतीय आधार पर एक समान रूप से कार्यान्वित की जाती है।

किसानों को वहनीय मूल्यों पर उर्वरकों की सहज उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए, सरकार ने आवश्यकता के आधार पर एनबीएस सब्सिडी दरों के अतिरिक्त डीएपी पर विशेष पैकेज प्रदान किया है ताकि उर्वरकों का अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) स्थिर बना रहे और बाजार की अस्थिरता को भी समाहित किया जा सके। वर्ष 2024-25 में, सरकार ने किसानों को वहनीय कीमतों पर डीएपी की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने और कृषि क्षेत्र एवं संबंधित गतिविधियों का समर्थन करने और देश में खाद्य सुरक्षा परिदृश्य को सुदृढ़ करने के लिए पीएण्डके उर्वरक कंपनियों को ₹3500 प्रति मीट्रिक टन की दर पर दिनांक 01.04.2024 से डीएपी की वास्तविक पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल) बिक्री पर एनबीएस दरों के अतिरिक्त डीएपी पर एक-बारगी विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। इस प्रकार, संपूर्ण सब्सिडी स्कीम असम के धुबरी जिले के किसानों सहित देश के सभी किसानों को वहनीय कीमतों पर उर्वरकों की समय पर उपलब्धता कराने पर केन्द्रित है।

(ग): सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्रों के अलावा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (पंजाब सहित) में परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के माध्यम से मृदा स्वास्थ्य और जल प्रतिधारण में सुधार करने के लिए देश में प्राथमिकता के आधार पर जैविक कृषि को बढ़ावा दे रही है। यह स्कीम जैविक खेती में लगे किसानों को शुरू से अंत तक अर्थात उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण तक, प्रमाणन और विपणन तथा फसल कटाई के बाद के प्रबंधन तक सहयोग प्रदान करने पर बल देती हैं। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण इस स्कीम के अभिन्न अंग हैं। पीकेवीवाई के तहत, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, डेटा प्रबंधन, भागीदारी गारंटी प्रणाली-भारत प्रमाणन, मूल्य संवर्धन, विपणन और प्रचार जैसे विभिन्न घटकों को शामिल करते हुए जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्ष की अवधि हेतु 31,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता 3 वर्ष की अवधि के लिए किसानों को फार्म-पर/फार्म-बाह्य जैविक आदानों के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) इन अकार्बनिक और जैविक दोनों स्त्रोतों के संयुक्त उपयोग के माध्यम से मृदा परीक्षण आधारित समेकित पोषक तत्व प्रबंधन की सिफारिश करके उर्वरकों के सतत और संतुलित उपयोग को बढ़ावा देता है। आईसीएआर जैव उर्वरकों/जैव समृद्ध जैविक खादों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रक्रियाओं के साथ-साथ उत्पादों दोनों को विकसित करता है। इसके अलावा, बजट घोषणा, 2023 के अनुसरण में और व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की सिफारिशों पर, सरकार ने 1451.84 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26) के कुल परिव्यय के साथ जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए 1500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की बाजार विकास सहायता (एमडीए) को मंजूरी दी है, जिसमें अनुसंधान गैप फंडिंग आदि के लिए 360 करोड़ रुपए की कॉपर्स निधि शामिल है। सरकार की इन पहलों से रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित उपयोग का समाधान होने की आशा है जिससे रासायनिक उर्वरकों के अति प्रयोग में कमी आएगी।

इसके अलावा, असम राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, कृषि विभाग जिला प्रशासन के साथ वर्मी कम्पोस्ट और अन्य जैव आदानों के उपयोग के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा देने का कार्य करता है। कृषि विभाग और पीएण्डआरडी विभाग एफआईजी और सामुदायिक भागीदारी की मदद से वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने के लिए प्रत्येक पंचायत में केंद्रीय सामग्री संग्रह सुविधा (एमसीएफ) इकाइयों का उपयोग करता है। अब तक, 256 वर्मी कम्पोस्ट इकाइयों का विकास किया गया है ताकि पर्याप्त वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन किया जा सके जिसका उपयोग किसानों द्वारा रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को कम करने और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए किया जाता है।

****